प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 21.08.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर मिशन शक्ति के विशेष अभियान (फेज-04) के तहत कम्युनिटी पुलिसिंग एवं महिला सशक्तिकरण हेतु महिलाओं/बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति महोबा पुलिस द्वारा निरंतर किया जा रहा है जागरुक-

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं / बालिकाओं के सुरक्षार्थ व स्वालंबन हेतु चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान (फेज-04) के तहत पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में आज दिनांक 21.08.2024 को जनपद के समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा गांव, कस्बा, स्कूल, कालेज सहित विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर भ्रमण कर कर प्राथमिकता के आधार पर महिला/बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही महिला संबंधित समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में चौपाल का आयोजन कर वृहद स्तर पर जनजागरुकता अभियान चलाया जा रहा है तथा महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ शक्ति दीदी के रूप में जुड़ कर उन्हें सशक्त एवं सुरक्षित वातावरण देने का प्रयास किया जा रहा है । साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों यथा- वूमेन पॉवर लाइन-1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, एम्बुलेंस सेवा-108, चाइल्ड लाइन-1098, स्वास्थ्य सेवा-102, महिला हेल्पलाइन-181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076 तथा सार्थक और सकारात्मक चर्चा कर गुड टच, बैड टच के बारे में, घरेलू हिंसा के बारे में, साइबर अपराधों के बारें में साइबर हेल्पलाइन-1930 आदि सहित कानूनी प्रावधानों एवं उनके अधिकारों इत्यादि के बारें में चर्चा करते हुए शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देते हुए पम्पलेट प्रदान कर जागरूक किया जा रहा है।

थाना श्रीनगर की पुलिस टीम ने दुष्कर्म व पॉक्सों एक्ट से सम्बन्धित 02 नफर वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा/कारतूस व मोबाइल फोन बरामद-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद महोबा में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 21.08.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम् व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गौड़ के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना श्रीनगर श्री शिवपाल सिंह के नेतृत्व में गठित हुई पुलिस टीम ने थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 175/24 धारा 376डी/506 भादवि, 6 पाक्सो एक्ट व 67(B) आईटी एक्ट से सम्बन्धित 02 नफर वांछित अभियुक्तगण क्रमशः 1.नरेन्द्र कुशवाहा पुत्र प्रीतम उम्र 24 वर्ष 2.मनोज कुशवाहा पुत्र कमलू कुशवाहा उम्र 21 वर्ष को मय मोबाइल फोन के साथ तलैया मोड़ ग्राम ढिकवाहा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया है, इस दौरान गिरफ्तार अभि0 नरेन्द्र कुशवाहा से घटना में प्रयुक्त शस्त्र के बारे में कडाई से पूछताछ की गई जिसमें उसने बताया कि घटना को अंजाम देने के बाद शस्त्र को एक स्थान पर छुपा दिया हूँ, अभियुक्त की निशादेही पर सिद्ध बाबा की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ता के पास ग्राम ढिकवाहा के पास से मुकदमा उपरोक्त में प्रयुक्त 01 अदद देशी तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद किया गया है। अभियुक्त नरेन्द्र कुशवाहा उपरोक्त के कब्जे से बरामद हुए अवैध शस्त्र/कारतूस के आधार पर थाना श्रीनगर में मु0अ0सं0 176/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया । बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी के उपरान्त जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. नरेन्द्र कुशवाहा पुत्र प्रीतम उम्र 24 वर्ष
2. मनोज कुशवाहा पुत्र कमलू कुशवाहा उम्र 21 वर्ष

निवासीगण ग्राम ढिकवाहा थाना श्रीनगर जनपद महोबा

बरामदगी-

- 02 अदद मोबाइल फोन
- 01 अदद देशी तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. निरीक्षक श्री शिवपाल सिंह, **SHO** थाना श्रीनगर
2. उ0नि0 दिनेश कुमार सिंह 3. म0उ0नि0 शिवांगी प्रजापति
4. कां0 हरिओम 5. कां0 विकास सरोज 6. का0 शुभम यादव

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं
प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 21.08.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान पीडितों की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया, प्राप्त जन समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में सम्बन्धित को दिये आवश्यक निर्देश-

आज दिनांक 21.08.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी। जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना जा रहा है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं को लेकर आये उन सभी की समस्याओं के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने के स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाये जाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में सभी अधीनस्थों को निर्देशित किया गया कि जिस समस्या का समाधान थाना स्तर पर हो सकता है उन सभी समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण थाना स्तर पर ही कराना सुनिश्चित किया जाये किसी भी फरियादी को परेशान न किया जाये; सभी से सम्मान पूर्वक बर्ताव किया जाये, निर्देशित किया गया कि घटना की तथ्यात्मक जानकारी करते हुये गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाये याद रखे जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिये, किसी भी पीड़ित से गलत व्यवहार की सूचना प्राप्त होने पर कठोरतम कार्यवाही की जायेगी ।

थाना कोतवाली नगर महोबा की पुलिस टीम ने टप्पेबाजी की घटना की किया सफल अनावरण, नकली जेवरात तथा टप्पेबाजी के 47 हजार 500 रुपये नगद सहित शातिर अभियुक्त को किया गिरफ्तार–

थाना कोतवाली नगर महोबा क्षेत्रअन्तर्गत मोहल्ला मिल्कीपुरा निवासी जलील पठान पुत्र काले खां ने थानाहाजा में एक शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसके माध्यम से उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उनको नकली सोने का हार दिखाकर उनसे तीन लाख रुपये की टप्पेबाजी कर ली गयी है। इस सूचना पर थाना कोतवाली नगर महोबा में मु.अ.सं. 388/24 धारा 318(4) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता द्वारा उक्त टप्पेबाजी की घटना का संज्ञान लिया गया जिसके क्रम में घटना के सफल अनावरण एवं सम्बन्धित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित किये जाने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर महोबा श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह के द्वारा गठित की गई उ0नि0 सुजीत कुमार जायसवाल, चौकी प्रभारी भटीपुरा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सम्बन्धित मु0अ0सं0– 388/24 धारा 318(4) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित एक नफर अभियुक्त जीवन गुजराती पुत्र जगराम मोहन उम्र करीब 39 वर्ष निवासी मकान नं0 292 सावदा कालोनी नई दिल्ली को पठा रोड के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया जिसके कब्जे से बरामदा माल 47500 रू0 नगद व पीली धातु के नकली जेवरात वजन एक किलो 900 ग्राम बरामद किया गया बरामदगी के आधार पर थाना हाजा पर पंजीकृत मुकदमें में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गई। अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि उसके साथ 02 लोग क्रमशः 1.कन्हैया 2.शान्ति पता अज्ञात भी सम्मलित थे, जिनकी गिरफ्तारी के लिए सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त को आवश्यक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त व आपराधिक विवरणः-

जीवन गुजराती पुत्र जगराम मोहन उम्र करीब 39 वर्ष निवासी मकान नं0 292 सावदा कालोनी नई दिल्ली सम्बन्धित मु0अ0सं0 – 388/24 धारा 318(4)/317(2) बीएनएस

बरामदगी-

- 47500 रू0 नगद
- पीली धातु के नकली जेवरात वजन एक किलो 900 ग्राम

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 सुजीत कुमार जायसवाल चौकी प्रभारी भटीपुरा थाना कोतवाली नगर महोबा

2. का0 करमवीर थाना कोतवाली नगर महोबा